ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार बनाती है, उन्हें कार्यरूप देती है तथा कार्यान्वित करती है। भारत सरकार केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है।

(ख) सातवीं योजना के दौरान अन्तर-राष्ट्रीय जल आपूर्ति तथा स्वच्छता दशक (1981–1991) के उद्देश्य के अनुरूप ध्येय यह होगा कि समस्त ग्रामीण जन-संख्या के लिये पर्याप्त जल सुविधायें उपलब्ध कराई जायें। सातवीं योजना में 2.27 लाख समस्या वाले गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा बड़ी सिंचाई योजनाओं का मूल्यांकन

484. डा० गोविन्द दास रिछारिया : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की कुल प्रस्तावित बड़ी सिंचाई योजनाओं, जिनका तकनीकी आर्थिक दृष्टि से केन्द्रीय जल आयोग मूल्यांकन कर रहा था, में से कितनी योजनाओं का मूल्यांकन पूरा किया जा चुका है तथा कितनी योजनाओं के मामले में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों का राज्य सरकार द्वारा अनुपालन किया जाना है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ख) जिन परियोजनाओं के मामलों में राज्य सरकार द्वारा टिप्पणियों का अनुमान किया जा चुका है उनके बारे में सरकार क्या निर्णय ले रही है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग में सात बृहद सिंचाई स्कीमों की तकनीकी - आर्थिक जांच पूरी की जा चुकी है और इनको योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। राज्य सरकार को आठ स्कीमों पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर भेजने हैं। इसके अलावा, तीन अन्य स्कीमें हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर्राज्यीय मामलों को निपटाया जाना निहित है। दिसम्बर, 1986 में प्राप्त बेवार शाखा आधुनिकीकरण नामक एक स्कीम केन्द्रीय जल आयोग में इस समय परीक्षणाधीन है।

सूखा, अकाल तथा बाढ़ से प्रभावित राज्य

485. श्री मीर्जा इर्शादबेग : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा और बाढ़ के संबंध में विभिन्न राज्यों की वर्तमान स्थिति क्या है, हाल की बाढ़ से प्रभावित हुए राज्यों की संख्या कितनी है, सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी कितनी राहत धनराशि आवंटित की गयी है ;

(ख) इस संबंध में प्रत्येक राज्य की मांगें क्या हैं, केन्द्रीय दलों द्वारा कितने राज्यों का दौरा किया गया है तथा उनके द्वारा कितने राज्यों का दौरा किया जाना है, उनके द्वारा क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं, तथा उन पर क्या निर्णय लिये गये हैं या लिये जाने का विचार है ; और

(ग) प्रभावित राज्यों को कब तक सहायता दे दिये जाने की संभावना है ;

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) से (ग) 1986 के मानसून बाढ़ के दौरान सूखे से प्रभावित राज्यों द्वारा मांगी गयी सहायता, केन्द्रीय दलों के दौरे और स्वीकृत की गयी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है **(नीचे देखिए)** इसी प्रकार, 1986 को मानसून के बाद की अवधि के दौरान बाढ़ आदि द्वारा प्रभावित राज्यों द्वारा मांगी गयी सहायता, केन्द्रीय दलों के दौरे और स्वीकृत की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण—2 में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

विवरण–1

1986–87 को मानसून–बाद की अवधि के दौरान सूखे से प्रभावित राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता और स्वीकृत की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मांगी गई धनराशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत की गई व्यय की अधिकतम सीमा (रुपये करोड़ में)	केन्द्रीय दल (के०द०) का दौरा/अन्तर मंत्रालयों दल (अ०म०द०) द्वारा अनुरो पर विचार किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	591.28 (87–88 के लिये 240.75 सहित)	48.38 (87 88 के लिये 25:19 करोड़ सहित)	के०द०	
2	असम	81.93	7.40	के०द०	
3	हरियाणा	141.62	16.70	के०द०	
4	हिमाचल प्रदेश	70.56	0.70	के०द०	
5	मध्य प्रदेश	162.88 (87–88 के लिये 75.99 सहित)	18.28 (87–88 के लिये 6.28 करोड़ सहित)	के०द०	
6	महाराष्ट्र	494.69 (87-88 के लिये 233.07 सहित)	36.27 (87-88 के लिये 12.29 करोड़ सहित)	के०द०	
7	मणिपुर	1.98	0.76	अ०म०द०	
8	मेघालय	0.86	0.17	अ०म०द०	
9	राजस्थान	865.24 (87–88 के लिये 424.07 सहित)	54.82 (87-88 के लिये 12.07 करोड़ सहित)	अ०म०द०	

1	2	3	4	5	6
10	तमिलनाडु	310.02	31.77	अ०द०	
11	उत्तर प्रदेश	474.82	10.88	के०द०	
12	पांडिचेरी	0.46	0.06	के०द०	
13	गुजरात	429.87 (87-88 सहित)	66.51	के०द०	
14	त्रिपुरा	0.33		अ०म०द०	20 तथा 25 फरवरी 87 को अन्तर मंत्रालयी दल द्वारा अनुरोध पर विचार किया गया ।
15	गोवा	10.70		अ०म०द०	
16	नागालैंड	18.50 (सूखे तथा बाढ़ के लिये)			राज्य सरकार से कुछ और जानकारी मांगी गई ।
17	केरल	119.50			राज्य सरकार ने अभी हाल ही में ज्ञापन भेजा है और सूचित किया है कि मार्च 1987 के अन्त में केन्द्रीय दल राज्य का दौरा कर सकता है ।

विवरण–2

1986–87 को मानसून अवधि के दौरान बाढ़ आदि से प्रभावित राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता और मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मांगी गई धनराशि (करोड़ रु० में)	स्वीकृत की गई व्यय की अधिकतम सीमा (रु० करोड़ में)	केन्द्रीय दल (के०द०) का दौरा/अन्तर मंत्रालयी दल (अ०म०द०) द्वारा अनुरोध पर विचार किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	1226.50	132.37	के०द०	
2	असम	338.20	31.83	के०द०	
3	बिहार	288.34	36.94	के०द०	

1	2	3	4	5
4	हरियाणा	3.85	0.55	के०द०
5	हिमाचल प्रदेश	26.26	6.31	के०द०
6	जम्मू व कश्मीर	23.24	3.93	के०द०
7	केरल	210.77	26.67	के०द०
8	मध्य प्रदेश	88.25	5.29	के०द०
9	महाराष्ट्र	20.29	5.86	के०द०
10	मणिपुर	12.88	1.98	के०द०
11	मेघालय	5.52	1.42	अ०म०द०
12	पंजाब	77.73	18.08	के०द०
13	राजस्थान	35.99	7.59	के०द०
14	सिक्किम	32.90	0.99	अ०म०द०
15	उत्तर प्रदेश	434.17	30.57	के०द०
16	पश्चिम बंगाल	267.10 (87-88 के लिये 12.28 करोड़ सहित)	37.13 (87-88 के लिये 1.75 करोड़ सहित)	के०द०
17	पांडिचेरी	4.96	0.35	के०द०

486. (*Transferred to the 3rd March*, 1987).

व्यापारियों द्वारा वनस्पति घी के मूल्य में वृद्धि

487. **श्री सोहन लाल धूतिया :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1986 से 31 जनवरी, 1987 के दौरान वनस्पति (घी) तेल के मूल्यों में वृद्धि स्वयं व्यापारियों या उत्पादकों द्वारा की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या व्यापारियों को डालडा के उस स्टाक पर, जोकि वनस्पति घी के मूल्य में वृद्धि होने से पहले ही बाजार में मौजूद था, बढ़ा हुआ मूल्य लेने का अधिकार था ?

संसदीय कार्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) विपणन व्यापार में, आयातित तेलों के आवंटन में वृद्धि अथवा कमी तथा देशीय अनुमत तेलों के मूल्यों के अनुसार कीमतों में वृद्धि अथवा कमी होती है।

सतलुज-यमुना लिंक नहर

488. **श्री राम चन्द्र विकल :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतलुज-यमुना लिंक नहर पर निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा